महाराजा अग्रसेन मंच

1. संस्था का नाम — **"महाराजा अग्रसेन मंच"** जयपुर है व रहेगा
2. पंजीकृत कार्यालय — "महाराजा अग्रसेन मंच" का पंजीकृत कार्यालय– 401, प्लोट नंबर 130, विश्वेसरैया नगर, गोपालपुरा, जयपुर 302018
3. संस्था का कार्यक्षेत्र — समस्त जयपुर जिला रहेगा
4. प्रस्तावना — "महाराजा अग्रसेन मंच" की स्थापना दिनांक 21 सितम्बर 2000 को समाजवाद के सिद्धान्त के मुख्य प्रवर्तक महाराजा अग्रसेनजी के द्वारा किये गये कार्यों एवं सिद्धान्तों से आमजन को परिचित कराना एवं उनके सिद्धान्तों के अनुसार कार्यों को अनवरत और अधिक सशक्त तरीके से लागू करने की भावना के साथ की गई थी।
5. **उद्देश्य–** महाराजा अग्रसेन मंच के उद्देश्य निम्न प्रकार होंगे–

(i) महाराजा अग्रसेनजी के विचारों एवं आदर्शों के प्रचार प्रसार हेतु सुनियोजित तरीकों से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(ii) विभिन्न सृजनात्मक कार्यक्रम आयोजित कर समाज के जरूरतमंद बन्धुओं को आर्थिक एवं बौद्धिक सुदृढ़ता प्रदान करना।

(iii) समय–समय पर विभिन्न त्यौहारों एवं समारोह के कार्यक्रम आयोजित कर आपसी सामाजिक मेलजोल की भावना का विकास करना।

(iv) चिकित्सा क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के शिविर जैसे– रक्तदान शिविर, नेत्रदान संकल्प पत्र शिविर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से सम्बन्धित चिकित्सा परामर्श शिविरों, योग शिविरों आदि का आयोजन विभिन्न विशेषज्ञों की सहायता लेकर करना।

(v) समाज में व्याप्त बुराईयों के प्रति समाज को जागरूक कर उनके विरूद्ध आवाज उठाना।

(vi) समाज की विभिन्न संस्थाओं को एकत्रित कर एक मंच पर लाने हेतु सेमिनार, सामूहिक अग्र तीर्थ स्थल यात्रा आदि कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(vii) समाज को राजनैतिक मंच पर सम्बल प्रदान करना।

महाराजा अग्रसेन मंच
अध्यक्ष

महाराजा अग्रसेन मंच
सचिव

महाराजा अग्रसेन मंच
कोषाध्यक्ष

(viii) समाज की बेसहारा/असहाय वर्ग (विधवा, परित्यक्ता एवं बुजुर्ग वर्ग) के सम्मानपूर्वक जीवनयापन करने हेतु सम्बल प्रदान करना व विभिन्न विधिक, चिकित्सा व रोजगारोन्मुख शिविरों का आयोजन एवं अन्य आवश्यक कार्य करना।

(ix) विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए अग्रवाल बन्धुओं को संगठित कर उन्हें आवश्यक सभी प्रकार की सहायता करना।

(x) समाज के जरूरतमंद विद्यार्थियों को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति, आवास, पुस्तक व अन्य समस्त जरूरी सहायता उपलब्ध करवाना।

(xi) समाज के विवाह योग्य युवक–युवतियों की सूची तैयार कर उनका प्रकाशन करवाना तथा सामूहिक परिचय सम्मेलन एवं सामूहिक विवाह का आयोजन करना।

(xii) संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों, कर्तव्यों व अन्य नैतिक कर्तव्यों का प्रचार–प्रसार करना तथा उस हेतु आवश्यक अन्य समस्त कार्य करना।

(xiii) उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त समाज हित में आवश्यक अन्य सभी कार्य एवं गतिविधियां करना।

6. महाराजा अग्रसेन मंच का इतिहास

"महाराजा अग्रसेन मंच" जयपुर की स्थापना 21 सितम्बर 2000 को सर्वश्री प्रकाश अग्रवाल, विनोद गुप्ता, शशिभूषण गुप्ता, आलोक अग्रवाल, सतीश चन्द्र गर्ग आदि द्वारा समाज को निरन्तर क्रियाशील बनाए रखने के विभिन्न उद्देश्यों से की गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि महाराजा अग्रसेनजी के 18 पुत्रों (गोत्रों) के अनुरूप महाराजा अग्रसेन मंच की 18 सदस्यीय कार्यकारिणी होगी जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा एवं निर्वाचित कार्यकारिणी के सभी सदस्य अपने हाथों में प्रज्जवलित दीपक रखकर महाराजा अग्रसेनजी के सिद्धान्तों के अनुरूप निरन्तर गतिशील होते हुए कार्य करेंगे। मंच की प्रथम कार्यकारिणी का शपथग्रहण समारोह दिनांक 21 सितम्बर 2000 को शिव हनुमान मन्दिर प्रांगण मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर पर गोठ के साथ किया गया जिसमें तत्कालीन प्रमुख समाजसेवी स्व0 श्री मोहनदासजी अग्रवाल, श्री गिर्राज प्रसाद मित्तल (संस्थापक अग्रोदक), श्रीमान अजयजी मेहता व श्री प्रहलादजी गुप्ता ने मंच की प्रथम

महाराजा अग्रसेन मंच
अध्यक्ष

महाराजा अग्रसेन मंच
सचिव

महाराजा अग्रसेन मंच
कोषाध्यक्ष

नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलवाई। मंच की प्रथम निर्वाचित/संस्थापक कार्यकारिणी इस प्रकार थी–

1. प्रकाश अग्रवाल	अध्यक्ष
2. श्रीमती मीनू गुप्ता	उपाध्यक्ष
3 विनोद गुप्ता, एडवोकेट	महासचिव
4. शशिभूषण गुप्ता, एडवोकेट	कोषाध्यक्ष
5. सतीश चन्द गर्ग	सहसचिव
6. पिण्टू गुप्ता	सहसचिव
7. पूनम गुप्ता	सांस्कृतिक सचिव
8. पल्लवी गोयल	
9. डॉ. आलोक अग्रवाल	

कार्यकारिणी सदस्य

10. मनीष गुप्ता (हिण्डौन)
11. श्री लक्ष्मीस्वरूप गोयल
12. अमित गुप्ता
13. महेश गुप्ता
14. रतनलाल गुप्ता
15. गजानन्द गुप्ता
16. अमित अग्रवाल
17. लक्ष्मीकांत गोयल
18. अग्रेश गुप्ता

महाराजा अग्रसेन मंच
अध्यक्ष

महाराजा अग्रसेन मंच
सचिव

महाराजा अग्रसेन
कोषाध्यक्ष

वर्तमान में नवीन कार्यकारिणी इस प्रकार से है –

1. श्री अभिषेक बंसल	अध्यक्ष
2. श्री सतीश चंद गर्ग	उपाध्यक्ष
3. श्री महेश सिंधल	उपाध्यक्ष
4 श्री धमेंद्र गुप्ता (कम्पाउंडर)	महासचिव
5. श्री दाऊ दयाल गोयल	कोषाध्यक्ष
6. श्री मनीष अग्रवाल	सह सचिव
7. श्रीमती अंजना (वैशाली गुप्ता)	सह सचिव
8. श्रीमती पूनम गर्ग	सांस्कृतिक सचिव
9 श्री अग्रेश गुप्ता	प्रेस सचिव (प्रवक्ता)

कार्यकारणी सदस्य

10. श्री शशीभूषण गुप्ता (एडवोकेट)
11. श्री अशोक सिंधल
12. श्री के. के. सिंधल
13. श्री लक्ष्मणस्वरूप गोयल
14 श्री विपिन सिंघल
15 श्री संजय सिंधल
16. श्री विरेन्द्र गोयल
17. श्री गोरव सिंधल
18. श्री अशोक गुप्ता

महाराजा अग्रसेन मंच अध्यक्ष

महाराजा अग्रसेन मंच धर्मेंद्र गुप्ता सचिव

महाराजा अग्रसेन मंच कोषाध्यक्ष

7. संस्थापक सदस्यों द्वारा नियत मुख्य प्रावधान– मंच के संस्थापक सदस्यों द्वारा मंच की स्थापना के समय निम्न प्रावधान किये गये:–

(i) तत्समय यह भी प्रावधान किया गया था कि उपरोक्त कार्यकारिणी के अतिरिक्त समाज के उत्साही एवं कार्य करने के इच्छुक बन्धुओं व सम्मानीय बन्धुओं को "मंच" में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर कार्यकारिणी की हर बैठक में आमंत्रित किया जा सकेगा लेकिन ऐसे सदस्यों को कार्यकारिणी के साथ किसी प्रकार का मताधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(ii) तत्समय मंच के संस्थापक सदस्यों की मंशा यह भी थी कि मंच का एक संरक्षक मण्डल होगा। मंच के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने वाला बन्धु उस संरक्षक मण्डल का सदस्य होगा। इनके अतिरिक्त अन्य कोई बाहरी व्यक्ति व सदस्य कभी भी संरक्षक मण्डल का सदस्य नहीं हो सकेगा। संरक्षक मण्डल की सदस्य संख्या **अधिकतम** सात होगी।

(iii) संरक्षक मण्डल के प्रथम पांच संरक्षक सदस्य स्थायी होंगे तथा अंतिम दो सत्रों में अध्यक्ष रहे बन्धु इसके सदस्य होंगे लेकिन उसके पश्चात् आने वाले अध्यक्ष बन्धु द्वारा अपना कार्यकाल पूरा करने के उपरान्त संरक्षक मण्डल का आवश्यक रूप से सदस्य बन जायेगा तथा संरक्षक मण्डल में पांच स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त **शेष** दो सदस्यों में से वरिष्ठ सदस्य को रिटायर्ड माना जा कर उससे रिक्त हुए स्थान पर पदस्थापित हो सकेगा।

(iv) उपरोक्त संरक्षक मण्डल के पांच स्थायी सदस्यों में से किसी भी सदस्य के स्वेच्छा से त्यागपत्र देने/मृत्यु होने/पागल/दिवालिया या कानून द्वारा किसी भी प्रकार की अयोग्यता प्राप्त कर लेने की स्थिति में संरक्षक मण्डल के शेष स्थायी सदस्यों द्वारा संरक्षक मण्डल के सदस्य रहे (पूर्व व वर्तमान) बन्धुओं में से किसी एक को बहुमत के आधार पर निर्वाचित कर रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकेंगे एवं ऐसे निर्वाचित सदस्य को स्थायी संरक्षक सदस्य के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे।

(v) संरक्षक मण्डल एवं उसके सदस्यों को "महाराजा अग्रसेन मंच" की निर्वाचित कार्यकारिणी किसी भी प्रकार के फैसलों व कार्यकलापों से प्रभावित नहीं कर सकेगी

महाराजा अग्रसेन मंच
अध्यक्ष

महाराजा अग्रसेन मंच
सचिव

महाराजा अग्रसेन मंच
कोषाध्यक्ष

एवं संरक्षक मण्डल के सभी सदस्य मिलकर समय–समय पर अपनी राय से मंच की निर्वाचित कार्यकारिणी को लाभान्वित कर सकेंगे। संरक्षक मण्डल की राय पर निर्वाचित कार्यकारिणी आवश्यक रूप से अपनी बैठक में विचार करेगी तथा उस राय से असहमत होने की स्थिति में आवश्यक रूप से संरक्षक मण्डल को अवगत करवायेगी। अन्यथा संरक्षक मण्डल की राय के अनुरूप कार्यकारिणी कार्य करने को बाध्य होगी। लेकिन संरक्षक मण्डल निर्वाचित कार्यकारिणी के दिन प्रतिदिन के कार्यों में अनावयक हस्तक्षेप भी नहीं करेगा।

(vi) संरक्षक मण्डल के सभी सदस्यों को ''महाराजा अग्रसेन मंच'' के कार्यकारिणी सदस्यों को प्राप्त समस्त अधिकार प्राप्त होंगे एवं उन्हें भी मंच की बैठकों में आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जावेगा।

(vii) संरक्षक मण्डल के किसी भी सदस्य के ''महाराजा अग्रसेन मंच'' के पुनः अध्यक्ष कार्यकारिणी के निर्वाचन की स्थिति में उसकी संरक्षक मण्डल की सदस्यता उसके अध्यक्षीय कार्यकाल तक निलम्बित मानी जावेगी एवं उसके निलम्बन के कारण रिक्त हुए स्थान को किसी अन्य द्वारा नहीं भरा जावेगा।

(viii) तत्समय मंच के संस्थापक सदस्यों द्वारा यह भी निश्चय किया गया कि 'मंच' का कोई भी पदाधिकारी एक ही पद पर लगातार दो कार्यकालों के लिए नहीं चुना जावेगा। सुविधा की दृष्टि से 'कोषाध्यक्ष' के पद को इस प्रावधान से मुक्त रखे जाने का निश्चय किया गया है। लेकिन किसी भी स्थिति में कोई भी पदाधिकारी लगातार दो कार्यकाल से अधिक कोषाध्यक्ष पद पर लगातार नहीं चुना जावेगा।

(ix) महाराजा अग्रसेन मंच अपने कार्य को उद्देश्यों के अनुरूप गति देने के लिए अन्य समितियां व उपसमितियां सुविधानुसार गठित कर सकेगा।

नोट– उपरोक्त उल्लेखित समस्त प्रावधान 'मंच' की स्थापना के समय संस्थापक सदस्यों द्वारा तय किये गये थे किन्तु उनको लिखित रूप नहीं दिया गया था। मंच के वर्तमान सदस्य उक्त प्रावधानों से सहमत है एवं उपरोक्त सभी प्रावधान इस विधान का आवश्यक भाग माने जावेंगे। अतः उक्त संघ विधान पत्र के जरिये उन्हें लिखित रूप दिया जाकर 'मंच' के विधान को पंजीकृत करवाने की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है।

महाराजा अग्रसेन मंच
अध्यक्ष

महाराजा अग्रसेन मंच
सचिव

महाराजा अग्रसेन मंच
कोषाध्यक्ष

8.	सदस्यता	:		"महाराजा अग्रसेन मंच" अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यकारिणी के निर्णयानुसार सदस्य बनायेगा। मंच की सदस्यता के लिए किसी भी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है– बालिग हो। 1. पागल या दीवालिया न हो। 2. किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दोष सिद्ध न 3. ठहराया गया हो। मंच के हितों को सर्वोपरी समझते हों। 4. मंच के उद्देश्यों एवं संविधान में रूची एवं आस्था रखता 5. हो। जाति से अग्रवाल वैश्य हो। 6. **स्पष्टीकरणः**– उपरोक्तानुसार योग्यताएं नहीं रखने वाला व्यक्ति मंच का सदस्य नहीं हो सकेगा।
9.	सदस्यों का वर्गीकरण	:		मंच में निम्न प्रकार सदस्यों को वर्गीकृत किया जा सकेगा– 1. संस्थापक सदस्य 2. संरक्षक सदस्य 3. आजीवन सदस्य 4. विशिष्ठ सदस्य 5. सामान्य सदस्य। **स्पष्टीकरणः**–(i) विधान की धारा 6 (महाराजा अग्रसेन मंच का इतिहास) में वर्णित सर्वश्री प्रकाश अग्रवाल, विनोद गुप्ता (एडवोकेट), शशिभूषण गुप्ता (एडवोकेट), आलोक अग्रवाल एवं सतीशचन्द गर्ग इस संस्था के संस्थापक सदस्य हैं। ये जीवनपर्यन्त संस्था के सदस्य बने रहेंगे। विशिष्ठ सदस्यों की नियुक्ति प्रबन्ध कार्यकारिणी अपनी इच्छा अनुसार कर सकेगी। (ii) वर्तमान में श्री विनोद गुप्ता (एडवोकेट) व डॉ आलोक अग्रवाल महाराजा अग्रसेन मंच के संरक्षक मण्डल के सदस्य हैं। **चूंकि संरक्षक मंडल के अन्य सदस्य सर्वश्री शशि भूषण गुप्ता , अशोक सिंघल एवम के के सिंघल वर्तमान कार्यकरिणीं में सदस्य है अतः उनके कार्यकरिणीं सदस्य वने रहने तक उनकी संरक्षक सदस्यता निलंबित रहेगी**
10.	सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क	:		मंच के नियम संख्या 9 के उप–नियमों में अंकित निम्नलिखित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क देय होगा।

महाराजा अग्रसेन मंच
धर्मेन्द्र गुप्ता सचिव

महाराजा अग्रसेन मंच
कोषाध्यक्ष

				आजीवन सदस्य – 500/–रूपये (सदस्यता शुल्क) सामान्य सदस्य– 100/–रूपये प्रति दो वर्ष
11.	सदस्यता समाप्ति/ निष्कासन	:		मंच से सदस्यों का निम्न परिस्थितियों में निष्कासन किया जा सकेगा अथवा सदस्यता स्वतः समाप्त हो जावेगीः– 1. मृत्यु होने पर 2. त्यागपत्र देने पर 3. पागल या दीवालिया घोषित होने पर 4. मंच के उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य करने पर 5. प्रबन्धकार्यकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर 6.किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध करार दिये जाने पर 7. विधान की धारा 10 के अनुसार सदस्यता शुल्क जमा न कराने पर। **स्पष्टीकरणः**– उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिवस की अवधि में मंच के संरक्षक मण्डल के समक्ष लिखित में की जा सकेगी जिस पर संरक्षक मण्डल के बहुमत का निर्णय मान्य होगा।
12.	साधारण सभा	:		मंच के नियम संख्या 9 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे जिसकी अध्यक्षता मंच की कार्यकारिणी के अध्यक्ष द्वारा की जावेगी।
13.	साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य	:		साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे–
			(i)	प्रबन्धकार्यकारिणी का चुनाव करना
			(ii)	कार्यकारणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना तथा कार्यकारिणी के निर्णयों से सहमत न होने की स्थिति में पूर्व में पारित निर्णयों को निरस्त कर मंच के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए नवीन निर्णय लेना। लेकिन ऐसे निर्णय व्यक्तिगत द्वेषता व अनावश्यक होने की स्थिति में कतई नहीं लिये जा सकेंगे और न ही मान्य होंगे।
			(iii)	सभा में उपस्थित कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना व आवश्यक होने पर नये नियम व उपनियम बनाना।
			(iv)	कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करना, प्रगति, रीति–नीति एवं कार्यक्रम पर निर्देश देना।
			(v)	अपने अधीन संचालित समस्त समितियों व उप समितियों के अंकेक्षण, आय–व्यय विवरण आदि पर विचार करना।

महाराजा अग्रसेन मंच
अध्यक्ष

महाराजा अग्रसेन मंच
सचिव

महाराजा अग्रसेन मंच
कोषाध्यक्ष

			(vi)	मंच की चल अचल सम्पत्तियों के संग्रह, रख रखाव, निर्माण व खरीद आदि पर निगरानी रखना व ऐसे प्रस्तावों पर जो कार्यकारिणी समिति ने प्रेषित किये हो, पर अपना निर्णय लेना तथा वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु सुझाव देना।
			(vii)	विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता होने पर कार्यकारिणी समिति को भंग कर संरक्षक मण्डल की राय से एडहॉक कमेटी की नियुक्ति करना। कार्यकारिणी समिति को भंग करने के प्रस्ताव को पारित करने के लिए साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से सदस्यों की सहमति अनिवार्य है।
14.	साधारण सभा की बैठकें	:		साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा की बैठक संरक्षक मण्डल/अध्यक्ष/ महासचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। साधारण सभा/विशेष सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/2 होगा। साधारण सभा की बैठक की सूचना सात दिवस पूर्व व विशेष सभा की बैठक की सूचना तीन दिवस पूर्व दी जा सकेगी। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः सात दिवस पश्चात् आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वे ही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे।
15.	कार्यकारिणी का गठन	:		मंच के विभिन्न कार्यों एवं उद्देश्यों को साकार करने अथवा मूर्त रूप देने के लिए एक कार्यकारिणी का गठन किया जावेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे– 1. अध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष (2) 3. महासचिव 4. कोषाध्यक्ष 5. सहसचिव (2) 6. संगठन सचिव 7. सांस्कृतिक सचिव 8. प्रेस सचिव (प्रवक्ता) 9. सहकोषाध्यक्ष इस प्रकार कार्यकारिणी में कुल 9 पदाधिकारी व 9

महाराजा अग्रसेन मंच
अध्यक्ष

महाराजा अग्रसेन मंच
सचिव

महाराजा अग्रसेन मंच
कोषाध्यक्ष

				कार्यकारिणी सदस्य कुल अठारह सदस्य होंगे। उपरोक्त सदस्यों/पदाधिकारियों के अतिरिक्त संरक्षक मण्डल के सदस्य भी कार्यकारिणी के अनिवार्य सदस्य रहेंगे एवं इन्हें वे सभी अधिकार होंगे जो कार्यकारिणी के सदस्यों को प्राप्त है। कार्यकारिणी में किसी पदाधिकारी या सदस्य का पद किसी भी कारण से रिक्त हो जाने पर कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में से रिक्त स्थान की पूर्ति बहुमत के आधार पर कर सकेगी।
16.	कार्यकारिणी का निर्वाचन	:		मंच की कार्यकारिणी का चुनाव दो वर्ष के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किया जावेगा जो कि 01 अप्रेल 2024 से शुरू होकर दो वर्ष पूरे होने की दिनांक अर्थात् 31 मार्च 2026 तक के लिए होगा । दो वर्ष की समाप्ति पर नवीन कार्यकारिणी के न चुने जाने की स्थिति में मंच की कार्यकारिणी भंग मानी जावेगी तथा ऐसी स्थिति में मंच का संचालन **संरक्षक** मण्डल द्वारा नवीन कार्यकारिणी के चुने जाने तक किया जा सकेगा जो किसी भी स्थिति में छः माह से अधिक नहीं होगा। इस अवधि के दौरान मंच की नवीन कार्यकारिणी का निर्वाचन किया जा सकेगा लेकिन विशेष परिस्थितियों में नवीन कार्यकारिणी न चुन पाने की स्थिति में संरक्षक मण्डल एक प्रस्ताव पारित कर एक बार पुनः छः माह की अवधि तक मंच के कार्यकलापों का संचालन कर सकेगा। संरक्षक मण्डल नवीन कार्यकारिणी न चुने जाने तक अपनी इच्छा अनुसार अस्थायी व्यवस्था के तौर पर एक अंतरिम कार्यकारिणी गठित कर सकेगा।
17.	कार्यकारिणी के अधिकार व कर्तव्य	:		मंच की कार्यकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे–
				कार्यकारिणी समिति के उद्देश्यों एवं निर्देशों का पालन करने एवं उन्हें क्रियान्वित करने हेतु उत्तरदायी होगी।
				कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियों का गठन करना, भंग करना एवं पुनर्गठन करना।
				मंच के सदस्यों द्वारा रखे गये प्रतिवेदनों पर विचार कर निर्णय लेना।
				सदस्य एवं पदाधिकारियों के त्याग पत्र अथवा निष्कासन पर निर्णय लेना।
				नये सदस्य बनाना
				मंच के एवं मंच के तहत संचालित संस्थाओं/समितियों/उपसमितियों के हिसाब किताब के

महाराजा अग्रसेन मंच
धर्मेन्द्र गुप्ता सचिव

महाराजा अग्रसेन मंच
कोषाध्यक्ष

				अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों की नियुक्ति करना एवं पारिश्रमिक तय करना।
				मंच से संबंधित किसी विवाद की स्थिति में न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवेत्ता इत्यादि की नियुक्ति करना।
				वार्षिक बजट तैयार करना
				मंच द्वारा किये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार करना
				मंच की सम्पत्ति की सुरक्षा बाबत आवश्यक समस्त कार्य करना।
				मंच के कार्यों के सुचारू संचालन बाबत कर्मचारियों की नियुक्ति करना एवं उनके वेतन भत्तों नियत करना व उनकी सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाना
				मंच की सम्पत्तियों की सुरक्षा बाबत आवश्यकता होने पर ट्रस्ट आदि का निर्माण करना
				कार्यकारिणी समिति यदि आवश्यक समझे तो कुछ व्यक्तियों को विशेष रूप से आमंत्रित कर सकती है, किंतु विशेष आमंत्रित व्यक्तियों को कार्यकारिणी समिति में मताधिकार नहीं होगा।
				किसी पदाधिकारी अथवा कार्यकारिणी सदस्य द्वारा इस विधान के नियम संख्या 11 में अंकित निर्योग्यताओं में से कोई भी निर्योग्यता प्राप्त कर लेने पर, रिक्त हुए स्थान की पूर्ति हेतु कार्यकारिणी समिति अपने सदस्यों में से बहुमत से कर सकेगी।
				अन्य कार्य जो मंच के हितार्थ हो, करना।
18.	कार्यकारिणी की बैठकें	:		कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम चार बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर विशेष बैठक संरक्षक मण्डल/अध्यक्ष/ महासचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। बैठक का कोरम कार्यकारिणी की कुल संख्या का 1/3 या अधिक होगा। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः नियत दिन या अन्य निर्धारित तिथि को निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वे ही होगें जो पूर्व एजेण्डा में थे। लेकिन इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आमसभा में करानी आवश्यक होगी।
19.	कार्यकारिणी के	:		मंच के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार

महाराजा अग्रसेन मंच
अध्यक्ष

महाराजा अग्रसेन मंच
सचिव

महाराजा अग्रसेन मंच
कोषाध्यक्ष

	पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य			होंगे– **1. अध्यक्ष–** अ) बैठकों की अध्यक्षता करना ब) मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना स) बैठकें आहूत करना द) संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना **2. उपाध्यक्ष** अ) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संस्था की अध्यक्षता करना व अध्यक्ष हेतु नियत सभी कार्य करना ब) कार्यकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना। **3. महासचिव** अ) बैठकें आहूत करना ब) बैठकों की कार्यवाही लिखना व रिकार्ड रखना स) आय–व्यय पर नियंत्रण करना द) कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि अध्यक्ष की सहमति से पास करना। य) मंच का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर मंच की ओर से हस्ताक्षर करना र) कर्मचारियों की नियुक्ति करना व उनकी सेवाशर्ते नियत करना तथा उनका निष्कासन करना ल) पत्र व्यवहार करना व) सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक व अन्य कार्य जो आवश्यक हो, अध्यक्ष की सहमति से करना। **4. सहसचिव** अ) महासचिव द्वारा निर्देशित कोई भी कार्य करना ब) महासचिव की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा निर्देशित करने पर महासचिव द्वारा किये जाने वाले कार्य करना। स) अन्य कार्य जो कार्यकारिणी निर्देशित करे। **5. कोषाध्यक्ष** अ) वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना ब) दैनिक लेखे बनाना व उन पर नियंत्रण करना स) चंदा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त करना द) मंच के कोष के संबंध में संरक्षक

महाराजा अग्रसेन मंच
अध्यक्ष

महाराजा अग्रसेन मंच
सचिव

महाराजा अग्रसेन मंच
कोषाध्यक्ष

				मण्डल / अध्यक्ष / महासचिव को समय समय पर अवगत कराना य) अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना। **6. सहकोषाध्यक्ष** अ) कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कोषाध्यक्ष के समस्त कार्य करना। ब) अध्यक्ष / महासचिव / कोषाध्यक्ष द्वारा कोष से संबंधित निर्देशित सभी कार्य करना। **7. संगठन सचिव** अ) मंच के संगठन को शक्ति प्रदान करने हेतु अथवा सशक्त बनाने हेतु आवश्यक समस्त कार्य करना। ब) मंच के सभी सदस्यों से सक्रिय सम्पर्क रखना एवं उन्हें मंच के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना। स) मंच को सशक्त बनाना एवं संगठित बनाये रखने से संबंधित अपनी राय व योजनाओं से मंच की कार्यकारिणी को अवगत कराना व उन पर कार्य करना। **8. सांस्कृतिक सचिव** अ) मंच द्वारा किये जाने वाले समस्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उन पर अपनी सक्रिय भागीदारी निभाना। ब) सांस्कृतिक व रचनात्मक कार्यों का आयोजन कार्यकारिणी की सहमति से निरन्तर करते रहना। **9. प्रेस सचिव (प्रवक्ता)** अ) मंच द्वारा किये गये कार्यकलापों व आगामी कार्यक्रमों से मीडिया को अवगत कराना व उनका प्रचार प्रसार करना। ब) महाराजा अग्रसेनजी के सिद्धान्तों के प्रचार प्रसार बाबत आवश्यक समस्त कार्य कार्यकारिणी की सहमति से करना। स) मंच के उद्देश्यों व कार्यों की समाज के बन्धुओं को जानकारी देना व उन्हें मंच से जुड़ने हेतु प्रेरित करना।
20.	मंच का कोष	:		मंच का कोष निम्न प्रकार संचित होगा– 1. चंदा 2. शुल्क 3. राजकीय व गैर सरकारी सहायता 4. राजकीय व गैर राजकीय अनुदान

महाराजा अग्रसेन मंच
धर्मेन्द्र गुप्ता सचिव

महाराजा अग्रसेन मंच
कोषाध्यक्ष

				5. ऋण व 6. अन्य स्रोतों से आय। **नोटः–** 1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था अथवा बैंक में सुरक्षित की जावेगी। 2. अध्यक्ष/महासचिव/ कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक या वित्तीय संस्थान में लेन–देन संभव होगा।
21.	मंच का अंकेक्षण	:		मंच के समस्त लेखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।
22.	मंच के विधान में परिवर्तन	:		मंच के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा।
23.	मंच का विघटन	:		यदि मंच का विघटन आवश्यक हुआ तो मंच की समस्त चल व अचल सम्पत्ति लगभग समान उद्देश्य वाली अग्रवाल समाज की संस्था को हस्तान्तरित कर दी जायेगी।
24.	मंच के लेखे जोखे का निरीक्षण	:		रजिस्ट्रार संस्थाएं, जयपुर को मंच के रिकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

महाराजा अग्रसेन मंच
अध्यक्ष

महाराजा अग्रसेन मंच
कोषाध्यक्ष

महाराजा अग्रसेन मंच
सचिव